निगरानी / टीए/7663/ 2024/फलौदी
गवरी बनाम सुरताराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
22–1–2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक प्रार्थी । श्री अजयपाल ढिढारिया, अभिभाषक अप्रार्थी श्री पूनमचंद विश्नोई, अप्रार्थी सं.7 स्वयं श्री अरूण प्रजापति, अभिभाषक अप्रार्थी श्री पवन टांक, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–10–2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 4–11–2024 स्वीकार किया जाकर श्री रामचन्द्र पुत्र श्री खींयाराम को अप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा अपनी आराजी में आने जाने हेतु खसरा नंबर 714 व 714/1 मे से रास्ते के लिये एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी फलौदी के यहां पेश किया। न्यायालय उपखंड अधिकारी फलौदी ने उक्त प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 8–8–2017 से स्वीकार कर लिया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के यहां प्रस्तुत की गई। जिसे अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 14–10–2024 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन नहीं किया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से बाहर जाकर काल्पनिक आधार बनाकर आदेश पारित किया गया। खसरा सं. 714 एवं 714/1 की सींव से आधा आधा हिस्सा लेकर रास्ता दिया जाना चाहिये था। किंतु प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 714 के मध्य से रास्ते की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर रास्ता गलत तरीके से स्वीकृत किया गया है। अप्रार्थी द्वारा खसरा सं. 714 एवं 714/1 दोनों में से रास्ता चाहा था। प्रार्थी के खसरें को रास्ते की आड में मध्य से विभक्त नहीं किया जा सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर निर्णय पारित किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावे तथा दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में खसरा नंबर 714 व 714/1 की सींव	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	पर रास्ते की आधी आधी भूमि लेकर नये सिरे से 12 फिट चौडा रास्ता दिया जावे। 4. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये अभिकथन किया कि प्रकरण में पूर्ण जांच कर तहसील से रिपोर्ट मंगवाई जाकर आदेश पारित किया गया है जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी बहाल रखा है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली अवलोकन किया । 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा सं. 401 में आने जाने हेतु न्यायालय उपखंड अधिकारी फलौदी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खसरा नंबर 712, 714 व 401/2 से रास्ता दिये जाने का निवेदन किया था। उपखंड अधिकारी ने डीएलसी दर की दोगुनी राशि बतौर प्रतिकर पर रास्ता प्रदान किया, जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने खारिज की है। अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय खसरा नंबर 714 एक खसरा था जो बाद में खसरा सं. 714 व 714/1 में विभाजित हो गया। पटवारी हल्का द्वारा मौके की वर्तमान स्थिति के अनुरूप खसरा नंबर 714 व 714/1 की सींव पर रास्ता दिये जाने के बजाय प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 714 के मध्य से रास्ते की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर विचारण न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत किया गया है। नियमानुसार रास्ता सींव से लगता हुआ दिया जाना चाहिये। किसी पक्ष के खेत की आराजी को रास्ते की आड में मध्य से विभक्त नहीं किया जा सकता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 24–10–2016 में किसी पक्ष के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में बनाये जाने की अवधारणा नहीं ली जा सकती। हमारी विनम्र राय में परीक्षण न्यायालय को सभी पक्षों के हितों का ध्यान रख कर समस्त खातेदारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट के आधार पर यदि वैकल्पिक रास्ता नहीं है तो नया रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिये। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 68 व 69 की पूर्ण पालना आवश्यक है। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 24–10–2016 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में नियम 68 व 69 की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	तथ्यों एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध का सही तौर से विश्लेषण व अध्ययन नहीं किया और सरसरी तौर पर अपने निर्णय पारित कर दिये, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। 7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14–10–2024 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–8–2017 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाकर हस्तगत् निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। 8. परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14–10–2024 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–8–2017 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 68 व 69 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के प्रावधानों की पालना कर उभय पक्षों की उपस्थिति में स्वयं मौका निरीक्षण कर खसरा नंबर 714 व 714/1 की सींव के सहारे आधी आधी भूमि लेकर रास्ता दिये जाने की उपयुक्ता का आकलन कर व मौका रिपोर्ट तैयार कर उभय पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर नये सिरे से प्रकरण का दो माह में विधिसम्मत् निस्तारण करें। उभय पक्ष उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के न्यायालय में दिनांक 19–2–2025 को वास्ते अग्रिम कार्यवाहीं उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति अविलम्ब लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मदनलाल नेहरा) सदस्य	